लिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि पूरे देश में जेलों की क्या कैपेसिटी है और अभी उनमें कितने कैदी रखे जा रहे हैं ? अभी कल ही "टाइम्स आफ इंडिया" में सासाराम जेल के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट छपी है :

The Jailor Mr. Jagannath Prasad said :
"Prisons are over-crowded with 549 against the capacity of 72"

केवल 72 की कैपेसिटी है जिसके अगेंस्ट 549 कैदियों को रखा गया है जिसका नतीजा यह है कि तीन अण्डर-ट्रायल्स मर गए । तो ऐसी दुःखद स्थिति है । दूसरी बात यह है कि मंत्री जी सरकार के एक अंग और कैबिनेट की ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी होती है, यहां पर लॉ मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं उन्होंने यहां पर जवाब दिया था कि जजेज की पोस्ट भी वैकेन्ट पड़ी हैं । दूसरी ओर यह जवाब भी आता है कि अण्डर-ट्रायल्स 38 साल तक बिला वजह बन्द रखे जाते हैं । तो तीनों चीजें एक साथ हैं—ओवर-क्राउडिंग भी है, अण्डर-ट्रायल्स बिना कुसूर के जेल में बन्द हैं और तीसरी तरफ जजेज की पोस्ट वैकेन्ट हैं । इनमें से अगर दो बातें पूरी हो जायें – अण्डर ट्रायल्स का मामला सुलझ जाए, जजेज की बहाली हो जाए तो ओवर-क्राउडिंग की जो समस्या है वह भी साल्व हो जायेगी । मैं जानना चाहूंगा क्या तीनों मिनिस्ट्रीज आपस में मिल करके कोई ऐसा रास्ता निकालेंगी जिससे कि अधिक से अधिक केसेज का निपटारा हो सके और इस समस्या का समाधान हो सके ? साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि अभी कितनी कैपेसिटी है और कितनी नयी जेलों को बनाने जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया था कुल मिलाकर 1,88,089 व्यक्तियों के लिए जेलों में स्थान है और उसके मुकाबले 1,69,097 कैदी वहां पर हैं इसलिए कुल मिलाकर तो स्थान की कमी नहीं है । यह बात सही है कि 1023 जेलों में से कुछ ऐसी हो सकती है जिनमें ओवर-क्राउडिंग हो और उसकी वजह से हालत खराब है ।

जहां तक नये कानून बनाने का सवाल है, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, संबंधित मिनिस्ट्रीज मिलकर इस बारे में विचार करेंगी । जजेज की खाली जगहों को भी भरने का प्रयास किया जायेगा ।

जहां तक जुविनाइल कैदियों को अलग रखने का सवाल है, उसका भी प्रबन्ध किया गया है और उसके लिए हाउसेज भी अलग बनाए गए हैं जहां पर उनको रिफार्म्स के सिलसिले में शिक्षा भी दी जाती है । जो ऐसे अण्डरट्रायल्स हैं जो कि अवधि से ज्यादा अण्डरट्रायल रह चुके हैं, उनको छोड़ने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसका पालन किया जा रहा है ।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए ली गई आशुलिपिक परीक्षा

*721. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 1981, 1982 और 1983 में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए कोई विशेष आशुलिपिक परीक्षाएं आयोजित की थीं;

(ख) यदि हां, तो उन परीक्षाओं में कितने उम्मीदवार बैठे थे; और

(ग) उन परीक्षाओं के आधार पर कितने उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया तथा कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) :

(a) : Yes, Sir.

(b) and (c) The number of candidates who appeared in the examinations and who were declared successful has been furnished in the enclosed statement.

Since the Staff Selection Commission only recommends successful candidates to the user Departments for appointment and the actual offers of appointment are made by the various appointing authorities of different offices, the information regarding the number of successful candidates actually appointed by the various Ministries/Departments is not available.

Statement

S. No.	Name of Examination	No. of candidates appeared	No. of candidates who were declared successful
1.	Stenographers Special Examination, 1981—Delhi Zone.	14	6
2.	Stenographers Special Examination, 1982—Eastern Region.	298*	179
3.	Stenographers Special Examination, 1983.	1058	213

*No. of applications received

श्री हीरालाल आर० परमार : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सफल उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है । मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे संसद का एक कानून है, प्रश्न का जवाब देने के लिए 21 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन 21 दिन के बाद भी संख्या उपलब्ध नहीं है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनको कितना समय और चाहिए और संख्या उपलब्ध क्यों नहीं है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : Sir, perhaps the hon. Member has not properly followed what I have said. The recruitment is made by the Staff Selection Commission for the posts vacant throughout the country and we will refer them to those users Ministries and the users Ministries will appoint these people. Unless we get the report to the contrary, it is presumed that all these candidates who are selected by the Staff Selection Commission have been absorbed by the various users Ministries.

श्री हीरालाल आर परमार : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा है कि सदस्य ने प्रश्न को समझा नहीं है । यह गलत बात है । मैं अच्छी तरह से समझता हूं । मन्त्री जी ने कहा है कि 1300 के करीब इन्टरव्यू में बैठे और इनमें से 398 पास हो गए । जो सफल उम्मीदवार हुए हैं, उनकी नियुक्ति होने का कहीं संकेत मिलता है या नहीं और अगर नहीं मिलता है, तो किस जगह से नहीं मिलता है—यह बताने की कृपा करें ।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य प्रत्येक साल के

अलग-अलग आंकड़े चाहते हैं। 1980 में 210 शैड्यूल्ड कास्ट्स पास हुए और 148 शैड्यूल्ड ट्राइब्स पास हुए—कुल 358 पास हुए, जबकि कुल मिलाकर 585 लोग बैठे थे। जहां क्वालिफाइड एग्जामिनेशन का सवाल है, 87 शैड्यूल्ड कास्ट्स पास हुए और एक शैड्यूल्ड ट्राइब्स पास हुआ—कुल मिलाकर 88 पास हुए। जितने भी लोग पास होते हैं, उनके नाम बेरीयस डिपार्टमेंट्स जिनके आफिस विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, भेज दिए जाते हैं। जितने नाम हमने भेजे हैं, उनके प्रोफाइल्स अभी तक लौटकर नहीं आए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि जिन लोगों के नाम भेजे गए थे, उन सब की नियुक्ति हो गई है।

श्री हीरालाल आर. परमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि नियुक्ति के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है और अब कहते हैं कि उनकी नियुक्ति हो गई है—इन दोनों में से कौन सी बात सच है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि प्रोफाइल्स भेजी गई है। न तो कैंडिडेट्स की तरफ से कोई शिकायत आई है और न ही उनके प्रोफाइल्स लौटकर आए हैं। जिससे यह अन्दाज लगता है कि सबकी नियुक्तियां हो गई हैं।

SHRI K. MAYATHEVAR : Sir, the Staff Selection Commission recruits canditates for filling up vacancies in various categories, from the whole country. Now, various groups of people from various part of the country appear for different examinations conducted by the Staff Selection Commission. The candidates are selected and appointed after the results are announced. Now, for instance, different groups of people like Group 'X', Group 'Y', etc. and also other categories of people are selected and appointed. They represent various States. For instance, some belong to West Bengal, some candidates belong to Haryana, some Tamil Nadu and some other from Maharashtra. So, from various States, they are being selected. Now, after their selection and appointment, if they want transfer to their respective States, they are not at all allowed. Is it not the policy of the Government to accommodate those candidates who want transfer to their respective States after their selection and appointment ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Sir, it does not relate to the present question. If the hon. Member wants to know the facts, he can put a separate question.

SHRI K. MAYATHEVAR : I only want to know the policy of the Government in regard to the transfer.

••

Multifunctional Digital Television made by Japan

722. SHRI AMAR ROYPRADHAN : SHRIMATI JAYANTI PATNAIK : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Japan has made a multifunctional digital television; and

(b) if so, the details thereof and progress made by India in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Japan has recently started making multifunctional digital TV sets. According to published information, details are as follows :

The Digital TV set has facilities for teletext and videotext applications and has a provision for multichannel viewing